

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

— प्रार्थी

बनाम

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. कैलाश चंद | } | पि. किस्तूरीलाल |
| 2. महेश कुमार उर्फ महेन्द्र कुमार (फौत) | | |
| 3. श्यामसुन्दर | | |
| 4. शीला | } | पुत्रियां किस्तूरीलाल |
| 5. विद्या | | |
| 6. गीता | | |
| 7. सीमा | | |
| 8. छोटीबाई वेबा किस्तूरीलाल | | |
| 9. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा—मासलपुर | | — अप्रार्थीगण |

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक—14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 2020, 2027/2 रकबा क्रमशः 2-14, 0-17 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 2020, 2027 रकबा क्रमशः 2-14, 3-18 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् क्रमशः गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंद संवत् 2030 से 2033 तक के खाता संख्या 548 किस्म बरानी दोगम श्री किस्तूरीलाल पुत्र श्री सुगन तमोली निवासी उपरैला (भावली) के नाम जरिये नियमन नामांतरकरण संख्या 386 से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में उपरोक्त भूमि कैलाश चंद, महेश कुमार उर्फ महेन्द्र कुमार (फौत), श्यामसुन्दर पि. किस्तूरीलाल, शीला, विद्या, गीता, सीमा पुत्रियां किस्तूरीलाल, छोटीबाई वेबा किस्तूरीलाल जाति तमोली निवासी उपरैला (भावली) राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा—मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 2020, 2027/2 रकबा क्रमशः 2-14, 0-17 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि क्रमशः गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059-62, 2067-70, 2071-74 नामांतरकरण संख्या 386, 788 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 के लाओलाद फौत होने तथा उसके विधिक वारिसान के पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थी संख्या 9 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ता 8 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि नोटिस जिस तरह से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। तहसीलदार मासलपुर द्वारा गलत तथ्यों पर

प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित जमीन कभी पोखर तालाबी नहीं रही है। तहसीलदार द्वारा जमाबंदी संवत् 2015 को पेश की है। सम्वत् 2015 सन् 1958 का है जब कि तहसीलदार के स्वयं के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.08.1947 के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार आदेश किया जाना है। दिनांक 15.08.1947 का कोई रिकॉर्ड तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया है। विवादित आराजी सिवायचक काश्ता थी जिस पर हम प्रार्थीगण जबावदारान् अपने बुजुर्गों के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। श्रीमान् उपजिला कलक्टर महोदय द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर हमारे हक में नियमन किया गया है जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 1951 को हमारे हक में खोला गया है और उसी समय में विवादित जमीन पर जबावदारान् वहैसियत खातेदार काबिज है। नामांतरकरण संख्या में गैर खातेदार से खातेदारी का खोला गया है हमारा बदस्तूर कब्जा बुजुर्गों के समय से चला आ रहा है। महेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। काफी साल पूर्व उसे गलत नोटिस दिया है। विवादित जमीन कभी तालाबी नहीं रही है। काश्ता जमीन है। जबावदारान् काश्ता पेशा व्यक्ति है और विवादित जमीन पर काश्त कर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। आय का स्रोत का एक मात्र विवादित आराजी है। स्वयं उपजिला कलक्टर साहब द्वारा मौका व रिकॉर्ड को देखकर नियमन किया है तथा हमारे कब्जे के आधार पर हमारे खातेदारी हकूक किये गये हैं जिसका पूर्ण ज्ञान लैण्ड होल्डर तहसीलदार को रहा है इतने दिनों तक तहसीलदार साहब क्यों चुप रहे इसका कोई कारण प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेंस खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 2020, 2027 रकबा क्रमशः 2-14, 3-18 बीघा क्रमशः गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरकरण संख्या 386 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2020, 2027/2 रकबा क्रमशः 2-14, 0-17 किस्म बारानी-3 किस्तूरीलाल पुत्र सुगन तमोली निवासी उपरैला (भावली) के नाम नियमन होकर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 61 में भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 2020, 2027/2 रकबा क्रमशः 2-14, 0-17 बीघा को वापस राजकीय भूमि क्रमशः गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

